

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:पं0 3(1)चिस्वा/2/24/1379

जयपुर, दिनांक:

आदेश

डॉ0 लक्ष्मी गोयल, (जन्मतिथि 25.04.1972) चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय बारां का सीसीए नियम 17 के अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण को निदेशालय के आदेश दिनांक 27.06.2023 द्वारा समाप्त किये जाने पर दिनांक 05.01.2017 से 12.09.2018 तक का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

आज्ञा से,

(निशा मीना)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1-निदेशक (जन स्वा) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।

2-प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बारां।

3- डॉ0 लक्ष्मी गोयल, (जन्मतिथि 25.04.1972) चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय

बारां।

4-रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव

Signature valid



Digitally signed by Nisha Meena
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.12.27 19:33:41 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: ई/चिअ/एल-194/2025/08

दिनांक : 02/01/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके राजकाज नं 12563114 दिनांक 27.12.2024 के क्रम में।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- कोटा।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय बारां।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी डीपीसी राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
6. डॉ० लक्ष्मी गोयल (जन्मतिथि 25.04.1972) चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय बारां।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करावे ।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

Document certified by RAVI PRAKASH
SHARMA <dydravisharma@gmail.com>

Digitally Signed by Ravi
Prakash Sharma
Designation: Additional Director
Date :02-01-2025 11:11:12